न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2020 (राजसमन्द आर्डर)

लक्ष्मण पिता नारायण जी, जाति माली, निवासी सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. पोखर पिता नारायण जी, जाति माली, निवासी सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0
काश्तकारी अधि0–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेट
दिनांक 17.09.2020 प्र.सं. 16/20

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रकाशचन्द पालीवाल अभिभाषक रे.सं. 1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 02–02–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारगढ़ में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 स्थित खाता संख्या 453 की आराजी नंबर 1246, 1247, 2465, 2466, 2512, 2687, 2688, 2689, 2693, 2694 व 2695 कुल किता 11 रकबा 2.6300 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/2 व विपक्षी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अंकित आराजी में प्रार्थी का 1/12 व विपक्षी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का दर्ज है। कलम संख्या 4 अंकित आराजियात में प्रार्थी का 1/4 व विपक्षी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का दर्ज है। कलम संख्या 5

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:54:36 IST
Reason: SelfAttested

अंकित आराजी में प्रार्थी का 1/2 व विपक्षी संख्या 2 का 737/1800 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का दर्ज है। कलम संख्या 6 अंकित आराजी में प्रार्थी का 1/2 व विपक्षी संख्या 2 का 39/85 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का दर्ज है। कलम संख्या 7 अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/6 व विपक्षी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान का दर्ज है।

उपरोक्त आराजियात प्रार्थी तथा विपक्षी संख्या 1 से 23 की संयुक्त खातेदारी में होने से विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा बिना विभाजन कराये अवैध रूप से निर्माण कराने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 से 7 में वर्णित आराजियात में बिना विधिक विभाजन किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे एवं प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित आराजियात का उसके पिता के समय से विभाजन होकर मौके पर अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि पर पक्षकारान काबिज है। प्रार्थी आराजी नंबर 2686 व 2696 में हुए गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 1 की भूमि हड़पने की नियत से दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17–09–2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28–09–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री प्रकाशचन्द पालीवाल उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो प्रार्थी के प्रथम दृष्टया मामले को तय किया है, न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु को तय किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट/प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज है ऐसी स्थिति में बिना विधिवत विभाजन कराये विपक्षी संख्या 1 सहखातेदारी भूमि के किसी विशिष्ट हिस्से पर निर्माण कराने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा की तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–09–2020 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा किया जाता है कि वे बिना विधिवत विभाजन कराये विवादित आराजियात के किसी विशिष्ट भाग पर निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थी/अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested